85

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 530-एक/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 01-02-2016 - पारित द्वारा - तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 6 अ-70/2015-16

अज्जू उर्फ अजय सिंह पुत्र स्व. रूप सिंह
निवासी ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1- रमेश पुत्र प्रीतम ढीमर
2- छोटू पुत्र प्रीतम ढीमर
3- संपतवाई पत्नि प्रीतम ढीमर
निवासीगण ईसागढ़ जिला अशोकनगर --असल अनावेदकगण
4- मुकेश पुत्र लालाराम लोधी
निवासी मोहचार तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर --तरतीवीं अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री बिनोद श्रीवास्तव अभिभाषक)
(अनावेदकगण की ओर से श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 - 2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 6 अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-02-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क. 1 , 2, 3 ने तहसीलदार ईसागढ को आवेदन देकर बताया कि उनके स्वामित्व की ग्राम डेंगामोहचार स्थित भूमि सर्वे नंबर 184/1 रकबा 1.965 हैक्टर में से 0.418 है. पर अनावेदक

मुकेश पुत्र लालाराम लोधी तथा रकबा 0.672 है. पर अज्जू यादव पुत्र रूपसिंह यादव बेजा कब्जा किये है इसलिये बेदखल की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार ईसागढ ने प्रकरण कमांक 6 अ-70/2015-16 पॅजीबद्व किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु आहुत किया। तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने आपत्ति दर्ज कराई कि अनावेदकगण का कब्जे का पूर्व प्रकरण कमांक 3 अ 70/15-16 आदेश दिनांक 10-12-15 से निरस्त हुआ है जिस पर पूर्व न्याय का सिद्वांत लागू होने से इस प्रकरण को निरस्त किया जाय। तहसीलदार व्दारा पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 1-2-16 पारित किया तथा निर्णीत किया कि पूर्व में भूमि का नक्शा तरमीम न होने से प्रकरण निरस्त हुआ है वर्तमान में नक्शा में लालस्याही से बटांकन कर दिये है इसलिये आवेदित भूमि पर बेजा कब्जा है अथवा नहीं है - यह बिना साक्ष्य के सिद्व नहीं हो सकता । इस प्रकार आवेदक का आपत्ति आवेदन अमान्य कर दिया एंव आवेदक व्दारा प्रकरण में जवाव प्रस्तुत करने हेतु मांगे गये समय की मांग को स्वीकार कर 9-2-16 को जवाव हेतु प्रकरण नियत कर दिया। तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। अनावेदक के अभिभाषक ने तहसीलदार ईसागढ़ के अंतरिम आदेश दिनांक 1-2-16 में लिये गये निर्णय को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब ग्राम डेंगा मोहचार स्थित भूमि सर्वे नंबर 184/1 रकबा 1.965 हैक्टर का नक्शा तरमीम नहीं था, अनावेदकगण की भूमि का चिन्हांकन संभव नहीं था जिसके आधार पर तहसीलदार ईसागढ ने अनावेदकगण के पूर्व प्रकरण कमांक 3 अ70/15-16 को आदेश दिनांक 10-12-15 से निरस्त किया है तदुपरांत राजस्व निरीक्षक ने भूमि सर्वे नंबर 184/1 रकबा 1.965 हैक्टर का नक्शा तरमीम कर दिया है जिसके आधार पर अनावेदकगण की भूमि चिन्हित हो सकेगी और

भूमि पर आवेदक का कब्जा है अथवा नहीं - जॉच एंव सुनवाई से वास्तविकता प्रकट हो सकेगी, जिसके कारण तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 6 अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-02-2016 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है। वैसे भी आवेदक को तहसीलदार के समक्ष लेखी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है इसके वाद भी वरिष्ठ में निगरानी करने से परिलक्षित है कि आवेदक तहसीलदार न्यायालय से प्रकरण का निराकरण न होने पावे, इसी उद्वेश्य से निगरानी कर रहा है और कारणों से तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 6 अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-02-2016 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 6 अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-02-2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर